दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 23 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 203

महत्वपूर्ण एवं खास

लॉकडाउन से खिलवाड़ करते 3375 के खिलाफ हुई कानूनी कार्यवाही

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन से खिलवाड़ करने के आरोप में मंगलवार को 3375 लोगों को पकड़ा। इन सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कार्यवाही की गयी। हिरासत में लेकर इन सबको बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मंगलवार को दिल्ली में आईपीसी की धारा 188 के तहत 145 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी, जबकि 66 डीपी एक्ट के तहत 278 वाहन जब्त कर लिये गये। बिना मास्क लगाये पकड़े गये 74 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, मूवमेंट पास 401 बनाये गये।

शोपियां में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हो गए। अभी कुछ आतंकी इलाके में छुपे हुए हैं और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की देर रात सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके के मेलहूरा गांव में आतंकी मौजूद हैं। इस सूचना पर सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ तथा एसओजी की टीम ने गांव की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। घेरा सख्त होता देख एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो सुरक्षाबलों ने उन्हें समर्पण के लिए कहा। इसके बाद भी आतंकियों ने गोलीबारी जारी रखी तो सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने शोपियां के मेलहूरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद मंगलवार रात को वहां घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में अब तक चार आतंकवादी मारे गए हैं। अभी मुठभेड़ जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है।

गरीबों के लाभ के लिए मुफ्त उज्जवला रीफिल बढ़ायें

नईदिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 1000 से अधिक एलपीजी वितरकों के साथ बातचीत की। लॉकडाउन के दौरान एलपीजी सिलेंडरों की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने में उनके अच्छे काम की सराहना करते हुए उन्होंने उनसे आग्रह किया कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में गरीबों की मदद करने के लिए घोषित की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सक्रिय रूप से पीएमयूवाई लाभार्थियों तक पहुंचे और तीन मुफ्त एलपीजी सिलिंडरों के वितरण को अधिकतम करने का काम करें।

पीपीई किट उपलब्ध कराने कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर बनाए डॉकिंग स्टेशन

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 महामारी के इस संकटपूर्ण दौर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी) ने अपने कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने व्यापक कदम उठाए हैं। ये कदम पूरे शहर में बनाए गए कंटेनमेंट(रोकथाम) क्षेत्रों में सेवाएं देने के मद्देनजर उठाए गए हैं। उत्तरी डीएमसी ने हर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर डॉकिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। स्वच्छता, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य या किसी भी विभाग हर कर्मचारी को इन डॉकिंग स्टेशनों से अपनी ड्यूटी शुरू करनी होती है। वे यहां रिपोर्ट करते हैं और उन्हें जरूरी पीपीई किट उपलब्ध कराई जाती हैं। सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी पूरी सुरक्षा के साथ कंटेनमेंट क्षेत्रों में प्रवेश करे। अपना कार्य पूरा करने के बाद उन्हें फिर से डॉकिंग स्टेशन पर आना होता है, जहां सुरक्षात्मक गियर को सावधानी से निपटान किया जाता है और घर लौटने से पहले कर्मचारियों को पूर्ण रूप से स्वच्छ (सैनिटाइज) किया जाता है, जिससे उनके माध्यम से संक्रमण घर तक न पहुंच जाए।

डाक्टरों पर हमला करने वालों की खैर नहीं!

» गैरजमानती अपराध घोषित, 7 साल तक की होगी सजा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत बदलाव करके अध्यादेश लागू किया जाएगा। इसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी। एक साल में फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 6 महीने से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार चिंतित है और इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई गई और नया अध्यादेश लाया गया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। सरकार इसे लेकर अध्यादेश लाई है। अध्यादेश में हिंसा के दोषी के लिए छह महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्यकर्मी दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

ऐसा अपराध गैर-जमानती होगा – जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन कर अध्यादेश लागू किया जाएगा। ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी। आरोपी को तीन महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पांच लाख तक का जुर्माना– उन्होंने कहा कि गंभीर चोटों के मामले में आरोपी को छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ में दोषी पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का दोगुना मुआवजा दोषियों से लिया जाएगा।

कोरोना वॉरियर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं– कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हेल्थकर्मियों पर हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थयकर्मियों पर हमला गैरजमानती होगा।

गंभीर मामले में 7 साल तक की सजा और दोगुना जुर्माना– केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 123 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए डॉक्टरों पर हमला करना को बर्दाश्त नहीं करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि गंभीर चोट के मामलों में हमला करने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माना 1-5 लाख तक होगा। गाड़ी या क्लीनिक का नुकसान करने पर बाजार रेट से दोगुना नुकसान हमलावारों से वसूल किया जाएगा।

अब पड़ोसी देशों की मदद की तैयारी में भारत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दुनियाभर में महामारी बनकर फैले कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सबके बीच भारत ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए संकट के समय पड़ोसी देशों को मदद करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही भारत अलग-अलग दल बनाकर श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के सहायता के लिए भेजेगा।

बता दें कि पिछले महीने 14 सदस्यीय भारतीय दल मालदीव में कोरोना वायरस जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भेजा गया था। इस दल ने वहां स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रशिक्षित भी किया था। वहीं, इस महीने की शुरुआत में भारत ने सेना के 15 सदस्यीय एक दल को द्विपक्षीय सहयोग के तहत कुवैत भेजा था। सूत्रों ने बताया कि मित्र देशों में महामारी से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने की नीति के तहत श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भेजे जाने के लिए दलों को तैयार किया जा रहा है। दक्षेस क्षेत्र में महामारी से लड़ने के लिए साझा कार्यक्रम बनाने में भी भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में दक्षेस के सभी सदस्य देश कोविड-19 महामारी का सामाजिक और आर्थिक दंश झेलने पर मजबूर हैं।

यूएस समेत 55 देशों को दी गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन– संकट के समय मित्र देशों की सहायता करने की नीति के तहत भारत ने अमेरिका, मॉरीशस और सेशेल्स समेत 55 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आपूर्ति की है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और म्यांमार को भी दवाएं भेजी हैं।

तेजी से बढ़ सकती है भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या: संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आगाह किया है कि दुनिया भुखमरी की महामारी के कगार पर खड़ी है और अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए कुछ ही महीने में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है।

दुनियाभर में 25,65,290 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 1,77,770 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीस्ले ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुरक्षण : संघर्ष से उत्पन्न भूख से प्रभावित आम नागरिकों की सुरक्षा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आभासी सत्र के दौरान कहा कि एक ओर हम कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं वहीं, दूसरी ओर भुखमरी की महामारी के मुहाने पर भी आ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अभी अकाल नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि अब अगर हमने तैयारी नहीं की और कदम नहीं उठाए तो आगामी कुछ ही महीनों में हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे निपटने के लिये हमें फंड की कमी और कारोबारी बाधाओं को दूर करने समेत कई कदम उठाने होंगे। बीस्ले ने कहा कि कोविड-19 के चलते दुनिया वैश्विक स्वास्थ्य महामारी ही नहीं बल्कि वैश्विक मानवीय सकंट का भी सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत देशों में रहने वाले लाखों नागरिक, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। बीस्ले ने कहा कि पूरी दुनिया में हर रात 82 करोड़ 10 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। इसक अलावा 13 करोड़ 50 लाख लोग भुखमरी या उससे भी बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के विश्लेषण में पता चला है कि 2020 के अंत तक 13 करोड़ और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। इस तरह भुखमरी का सामना कर लोगों की कुल संख्या बढ़कर 26 करोड़ 50 लाख तक पहुंच सकती है।

देश में कोरोना से अब तक 640 लोगों की मौत, 3870 लोग ठीक हुए

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढती जा रही है। इसी बीच देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 हजार के नजदीक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल मरीजों की संख्या 19 हजार 984 हो गई है। इसमें 640 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3870 लोग ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोनोवायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19984 तक हो गई है। इसमें 15474 सक्रिय मामले, 3870 ठीक होकर घर लौट गए हैं। अब तक 640 लोगों की मौत हो गई हैं। 15474 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में करीब 50

लोगों की मौत हुई है।

कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, यहां अब तक 5218 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 251 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 722 लोग ठीक हो चुके हैं. दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है। यहां अब तक 2178 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 90 लोगों की मौत हो चुकी है।

तीसरे नंबर पर दिल्ली है, यहां अब तक 2156 मामले हैं, जिसमें 47 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, यहां अब तक 1659 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पांचवें नंबर पर तमिलनाडु हैं, यहां 1596 कंफर्म केस आ चुके हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है।

मणिपुर में सिर्फ दो, मेघालय में 12, मिजोरम में एक और उड़ीसा में सिर्फ 79 मामले सामने आए हैं। यहां 24 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक की मौत दर्ज की गई है।

पुडुचेरी में सिर्फ 7 मामले सामने आए हैं जिनमें से तीन को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पंजाब में 245 कोरना संक्रमित लोग बताए गए हैं उन 39 को डिस्चार्ज किया गया। 16 की मौत हो गई है।

उधर त्रिपुरा में सिर्फ 2 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 46 मामले सामने आए 19 को डिस्चार्ज किया चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1294 लोग कोराना वायरस से पीड़ित बताए गए हैं जिनमें से 140 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है । यहां 20 लोगों की मौत हुई है । पश्चिम बंगाल में बुधबार सुबह तक 423 मामले सामने आये हैं। 73 को डिस्चार्ज किया चुका है। 15 की मौत हुई है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को झटका

» सुप्रीम कोर्ट से खारिज अंतरिम जमानत याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्रिश्चियन मिशेल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस वक्त मिशेल तिहाड़ जेल में बंद हैं और कोरोना की चपेट में आने की आशंका के आधार पर अंतरिम जमानत चाहता था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुरूप सरकार की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पैमाने के आधार पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती। मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने दलील रखी कि आरोपी की उम्र और जेल में ज्यादा भीड़ होने से कोरोना वायरस के संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है, ये मिशेल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे पहले सात अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद मिशेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मिशेल के वकील जोसफ ने जानकारी दी कि पीठ के मुताबिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्धारित पैमाने के आधार पर जेलों में बंद विदेशी कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी मिशेल जेल की एक अलग कोठरी में कैद हैं, इस कोठरी में उनके साथ दो अन्य कैदियों को रखा गया है और उन दोनों कैदियों में से किसी को भी कोविड-19 संक्रमण नहीं है। गौरतलब है कि क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में मिशेल न्यायिक हिरासत में है।

कारागारों में महिला वार्डों और सुधार गृहों पर विशेष ध्यान दे राज्यः महिला आयोग

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुधवार को राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर कहा कि वे कोरोना महामारी के मद्देनजर अपने यहां के कारागारों के महिला वार्डों और सुधार गृहों पर विशेष ध्यान दें। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस पत्र में कहा कि आयोग पहले भी महिला कैदियों और सुधार गृहों की दयनीय हालत के बारे में प्रशासनों को अवगत कराता रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद स्थिति और खराब होने की आशंका है। उनके मुताबिक अगर जेल प्रशासन ने विशेष ध्यान नहीं दिया तो महिला कैदियों की जान को भी खतरा पैदा हो सकता है।

पीएम 27 मई को करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

» लॉकडाउन पर जानेंगे राय

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की भावी रणनीति बनाएंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में पीएम मुख्यमंत्रियों से कोरोना से जुड़ी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। इस दौरान पीएम लॉकडाउन के संबंध में भी मुख्यमंत्रियों की सलाह लेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी बैठक होगी।

गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री समूह (जीओएम) की योजना कोरोना शून्य या न्यूनतम स्तर में प्रभावित इलाकों को लॉकडाउन से छूट देने की है। जीओएम अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए महानगरों में भी आर्थिक गतिविधियों को चलाने केपक्ष में है। इस क्रम में महानगरों के लिए अलग-अलग रोडमैप भी तैयार किए जा रहे हैं।

अब पीएम मुख्यमंत्रियों से भी इस संबंध में राय लेंगे। सूत्रों का कहना है कि पीएम मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे कि तीन मई के बाद अलग-अलग राज्यों में किस तरह की छूट दी जा सकती है। इस क्रम में पीएम केंद्र सरकार का अनुभव भी साझा करेंगे। इसके आधार पर ही पीएम आगे का फैसला करेंगे।

पृथ्वी दिवस; कोरोना ने महसूस कराया कि दुनिया में पर्यावरण को कितना हुआ नुकसानः नायडू

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर देशवासियों से पृथ्वी पर पर्यावरण के सजग प्रहरी बनने का आह्वान करते हुये कहा है कि कोरोना के वैश्विक संकट ने विकास की अवधारणाओं पर सवाल खड़ किये हैं और यह अहसास कराया है कि मानव ने किस हद तक पर्यावरण संतुलन को हानि पहुंचाई है।

नायडू ने प्रकृति के साथ संतुलन कायम करने के बारे में सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते हुये कहा, हम विश्व पृथ्वी दिवस की 50 वीं सालगिरह ऐसे समय मना रहे हैं जबकि सारा विश्व कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपदा से ग्रस्त है। फेसबुक पर अपने लेख में कोरोना संकट के बीच वैश्विक पर्यावरण के विषय में कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर होने की बात कहते हुए नायडू ने कहा विश्व भर में कोरोना के कारण लागू पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) में विश्व थम सा गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और वायु स्वच्छ हुई है। इसने हमको आभास दिलाया है कि मानव ने किस हद तक पर्यावरणीय संतुलन को हानि पहुंचाई है।

उपराष्ट्रपति ने ट्वीटर पर भी कहा कि कोविड-19 के विरुद्ध मनुष्य के अभियान ने हमारी विकास की अवधारणा पर गहरे सवाल उठाए हैं, जिनका निराकरण करना मानव के अस्तित्व मात्र के लिए अपरिहार्य है।

पीएम केयर फंड में जमा सीएसआर की राशि को राज्य को देने का आग्रह

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की गई सी.एस.आर. की राशि को शीघ्र राज्य सरकार को अंतरित करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि इस राशि का व्यय कोविड-19 के संक्रमण को रोकने अथवा उससे निपटने हेतु ही व्यय किया जाना है, तो राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर मद की राशि उन्हीं जिलों में व्यय की जाएगी, जो खनन या औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित है तथा कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि खनन परियोजनाओं अथवा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से इकाईयों के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को भूविस्थापन, प्रदूषण एवं अन्य कारणों से होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए सीएसआर फंड की स्थापना की गई है। आप अवगत ही होंगे कि सीएसआर मद से खनन परियोजनाओं और उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं संचालन का कार्य किया जाता है। सीएसआर मद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा सभी खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाईयों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सीएसआर मद की राशि सीधे 'प्रधानमंत्री केयर फंड' में जमा करें। इकाईयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन भी आरंभ हो गया है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से प्रभावित व्यक्तियों में असंतोष व्याप्त है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से खनन इकाईयों के आसपास के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में अनुरोध किया है कि राज्य की इकाईयों द्वारा सीएसआर मद की जो राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की गई है, उसे शीघ्र राज्य सरकार को अंतरित करने के निर्देश देने का कष्ट करें। यदि इस राशि का व्यय कोविड-19 के संक्रमण को रोकने अथवा उससे निपटने हेतु ही व्यय किया जाना है तो राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर मद की राशि उन्हीं जिलों में व्यय की जाएगी, जो खनन अथवा औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित है तथा कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित है।